राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

एफ 12 (12) ग्रावि/नरेगा/ग्रारोस/2/ज्ञापन/2010 जयपुर, दिनांक 18.02.11

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– संविदा कार्मिकों द्वारा संविदा अवधि में कार्य नहीं करने की शिकायत के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ज्ञात हुआ है कि कुछ जिलों में पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तरीय संविदा कार्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं तथा कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनको नियमित रूप से नियुक्त किया जाकर स्थाई किया जावे। उनसे प्रतिवर्श संविदा अनुबंध नहीं भरवाया जावे। उन्हें छठें वेतन आयोग का लाभ दिया जावे तथा इस विभाग के द्वारा जारी अनुबंध प्रारूप दिनांक 02.02.2011 को निरस्त किया जावे।

योजना के अंतर्गत सभी पद संविदा के पद है, जिन पर नियमित नियुक्ति दिया जाना योजनान्तर्गत अनुमत नहीं है। इस विभाग का परिपत्र दिनांक 02.02.2011 माननीय उच्च न्यायालय के याचिका संख्या 6188/2009 हुकुम सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक 15.07.2010 की पालना में जारी किया गया है। योजना के प्रारंभ में वित्त विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.01.2007 द्वारा जारी अनुबंध प्रारुप में संविदा कार्मिकों से अनुबंध करवाया गया था। योजनान्तर्गत वित्त विभाग के अनुबंध प्रारुप की कुछ शर्ते लागू नहीं होने के कारण वित्त विभाग से नया अनुबंध प्रारुप अनुमोदन कराकर इस विभाग के पत्र दिनांक 19.02.2010 द्वारा आपको भिजवाया गया तथा वर्ष 2010–11 के लिए इसी प्रारुप में अनुबंध किया गया। इस अनुबंध प्रारुप में वित्त विभाग के दिनांक 09.01.2007 के अनुबंध प्रारुप में वर्णित पेन्शन अंश दान, ग्रेच्यूईटी के प्रावधान योजना के पद संविदा आधारित होने के कारण लागू नहीं होने से शामिल नहीं किये गये । यात्रा भत्ता, मेडिकल क्लेम बीमा पॉलिसी एवं अनुबंध कार्मिकों की सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध रा ि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के प्रावधान इस विभाग के पत्र दिनांक 16.03.2010 द्वारा किये गये। साप्ताहिक एक अवका ि देय किया गया एवं आकस्मिक अवकाश प्रतिवर्ष 20 से घटाकर 12 किये गये है, क्योंकि योजनान्तर्गत साप्ताहिक अवकाश के अलावा प्रतिदिन कार्य चलता है। मातृत्व अवकाश 2 माह से बढ़ाकर 6 माह किया गया। इस अनुबंध प्रारुप के विरुद्व कई संविदा कार्मिकों ने उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाए दायर की । इन याचिकाओं को क्लब कर माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 6188/2009 में निर्णय करते हुए दिनांक 15.07.2010 को आदेश दिया कि राज्य सरकार अपने अनुबंध प्रारुप की समीक्षा करें तथा आवश्यक समझे तो संविदा अनुबंध का नया प्रारुप तैयार करें। इस आदेश की पालना में नया अनुबंध तैयार कर इस विभाग के आदेश दिनांक 02.02.2011 द्वारा सभी जिलों में भिजवाकर निर्देश दिये गये हैं कि आगामी वर्ष 2011–12 के लिए संविदा कार्मिकों से इसी प्रारुप में अनुबंध करवाया जावे। इस नये प्रारुप में मात्त्व अवकाश 180 दिन होना, दुर्घटना बीमा के प्रीमियम के

पुनःभरण, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मासिक संविदा राशि में बढोतरी के प्रावधान किये गये। नये अनुबंध प्रारूप में वित विभाग के द्वारा जारी प्रारूप दिनांक 09.01.2007 के पेन्शन अशंदान एवं ग्रेच्यूईटी के अलावा शेश समस्त प्रावधान भी शामिल किये हुये है।

अतः जो भी संविदा कार्मिक कार्य का बहिश्कार करता है या कार्य नहीं करता है तो सबसे पहले समझाइश की जावे। उसे बताया जावे कि योजना के अंतर्गत अनुमत समस्त लाभ उसे वित विभाग के अनुबंध प्रारूप दिनांक 09.01.2007 के अनुसार पहले ही दिये जा चुके हैं। चूंकि भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.03.2007 के अनुसार योजना के अंतर्गत कार्मिकों का नियमन किया जाना अनुमत नहीं है। यदि फिर भी कोई कार्मिक कार्य नहीं करता है तथा कार्य का स्वेच्छापूर्वक बहिष्कार करता है तो अनुबंध के बिन्दु संख्या 4 के उप बिन्दु संख्या 1 से 3 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई संविदा कार्मिक बिना अनुमति के जानबूझकर कार्य से 7 दिन से अधिक स्वेच्छा से अनुपस्थित रहता है, तो यह अनुबंध समाप्त करने का पर्याप्त आधार है।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करते हुये यह सुनिश्चित करें कि नरेगा अधिनियम अंतर्गत रोजगार मांग के 15 दिवस में मस्टररोल जारी कर समस्त श्रमिकों का नियोजन एवं तदोपरान्त 15 दिवस में भुगतान के कानूनी प्रावधन का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो। इसके लिये आवश्यक हो तो सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से लिये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की सेवाऐं ली जावे। यदि कार्य अधिक है तो इसको आउटसोर्स कर बाहरी संस्था के माध्यम से कार्य करवाया जावे।

भवदीय

18/2/11

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव□यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक प्रथम/द्वितीय (मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी) जिला परिशद समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस